संख्या-26/2023/330 जेएल/22-3-2023-800(34)/2017

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
वाराणसी ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 08 मई, 2023*

विषय- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी इमरान आरफीन पुत्र श्री शमशुल आरफीन, निवासी जनपद-वाराणसी को पत्नी के उपचार हेतु स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) में वृद्धि प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-98/जि0प्रो0का0/बंदी-पैरोल/2023-24, दिनांक 26-04-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी इमरान आरफीन पुत्र श्री शमशुल आरफीन, निवासी जनपद-वाराणसी को शासनादेश संख्या-15/2023/150 जेएल/22-3-2023-800(34)/2017, दिनांक 06-03-2023 द्वारा स्वीकृत पैरोल(दण्ड का अस्थाई निलम्बन) में एक माह की वृद्धि प्रदान की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, राज्यमंत्री (स्व0प्र0), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।